



Senior Treasury
Officer - Mathura

29 NOV 2005

Sig-Sr.T.O.



बैनामा 300000/-रुपया स्टाम्प हेतु, मालियत 300000/-रुपया स्टाम्प देय 30000/-रुपया जिसमें से 12000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक-24.3.2005 प्रलेख संख्या-2710 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 18100/-रुपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/-रुपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या-41 के क्रमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ०नि० मथुरा।

हमकि सतीशचन्द व मनीषचन्द्र पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई पत्नी श्री मिहीलाल निवासीगण ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावन दरवाजा मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

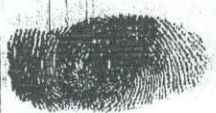
सतीशचन्द

मनीषचन्द्र

सोनदेई

श्यामसिंह

श्रीमती सोनदेई



जन्म २२ दि० ३१९५२
 नाम श्री ३२५५२
 जन्म स्थान श्री ३२५५२

मोदी ३२५५२

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
 ७ सप्ट १९८३

१६-०८-८३
 १६-०८-८३
 १६-०८-८३

३०००००
 ३०००००

३००००० ३००००० ३०००००

लक्ष्मी
 लक्ष्मी
 लक्ष्मी

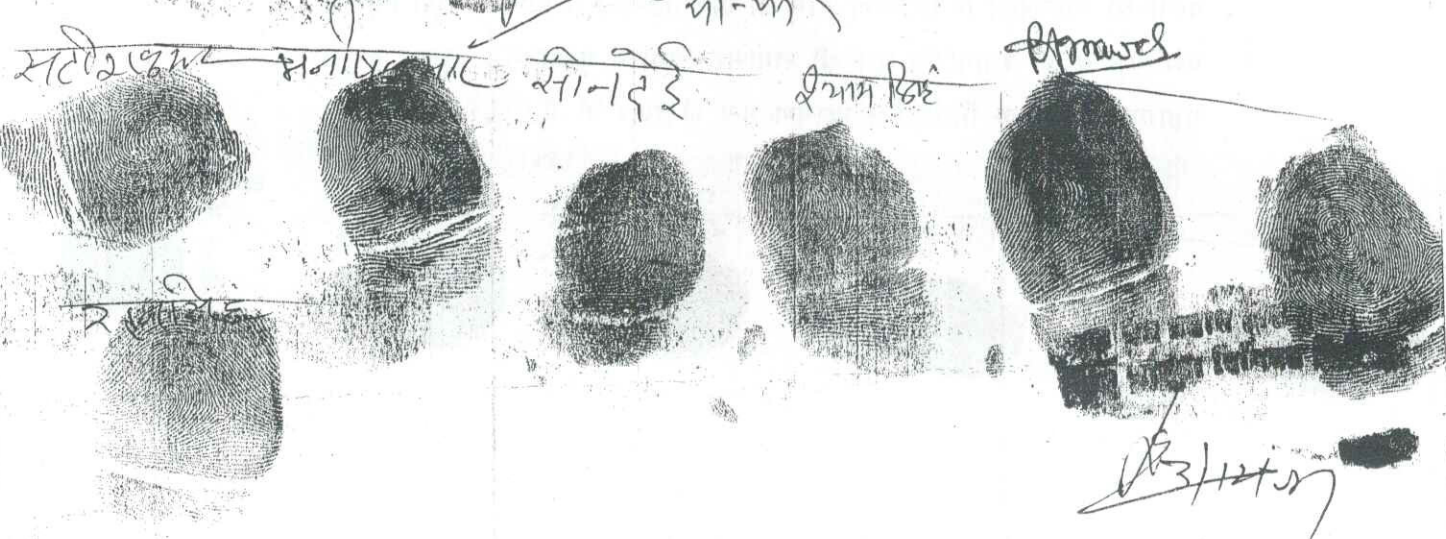
सहोदर



३००००० ३००००० ३०००००



लक्ष्मी
 लक्ष्मी
 लक्ष्मी



३१/८/८३



Senior Treasury
Officer - Mathura

29 NOV 2005

Sig-Sr.T.O.

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-160 व खसरा नंबर-65 रकबा 4.711 हेक्टेयर लगानी 85.65 रुपये सालाना बाकौ मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/16 मिलिकयत विक्रेता प्रथमपक्ष है। और प्रथमपक्ष का ही नाम दर्जकागजात सरकारी है जिस हिस्सा 1/16 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/16 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 1/16 का बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा

सहायक

मनीष

सोनो देई

सुपरी

Amas



Senior Treasury
Officer - Mathura

29 NOV 2005

Sig. Sr. T.O.

(3)

1/16 एक मात्र पाक साफ मिलिकयत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/-रुपया प्रति एकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/16 की स्टाम्प हेतु मालियत 300000/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-24.3.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 1425 के सफा 113/120 नंबर-2710 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस

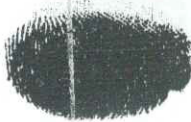
सतीश गुप्ता

मनीष कुमार

सोन देई

इरफान

Ramesh





Senior Treasury
Officer - Mathura
01 DEC 2005
Sig. S.T.O.

(4)

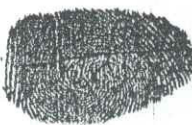
मुहायदा वै में 12000/-रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/-रुपये का स्टाम्प कमकर 11900/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 18100/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/16 को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो संकते हों वएवज 300000/-तीन लाख रुपया जिसके आधे 150000/-एक लाख पचास हजार रुपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया खरीदार से बजरिये दो किता चैक प्रथम नंबर-8271761 तादादी 200000/-रुपये व द्वितीय नंबर-8271762 तादादी 100000/-रुपये दोनों चैक बैंक ऑफ इण्डिया मथुरा शाखा

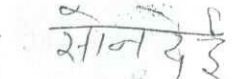
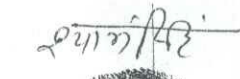
शरीरपुत्र श्री प्रतापसिंह सोनदेई शरीरपुत्र श्री मोहरसिंह



(5)

दोनों दिनांक—3.12.2005 द्वारा वक्त रजिस्ट्री बैनामों प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/16 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब











(6)

विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है । उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है । मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही

राजेश कुमार सोनदेई राजेश कुमार





(7)

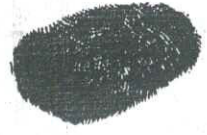
नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख केता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है।

शरीरकुमार मोतीकुंज

मोतीकुंज

शरीरकुंज

शरीरकुंज





(8)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

रविशंकर कुमार मनीष कुमार मोनोवेदी प्रचारादिदे

दिनांक-3.12.2005

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र, स्व० श्री महेशकुमार
गिराज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा
झापट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

गपद-→ अमरासिंह ८१० शिवलाल
गपि- आनंद गोपबति शिवलाल

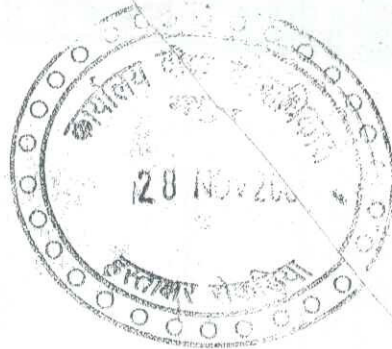
गपद-→ रहनसिंह ८१० केकी
गपि- आनंद गोपबति
(शिव, मथुरा)

गपद-→ इश्वरचंद्र ८१०
(८० मथुरा मथुरा)
(शिव, मथुरा)

रहनासिंह

जनरल स्टाम्प २४ दि. ३१९५ ५१ कागज
 संलग्न सं० २२

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
 स्टाम्प डिफेंस लाउ सं० ७ सन १९८३
 यमपुर रजिस्ट्री कार्यालय नयपुरा



बाबु विनायक ३४२५०४
 प्रस्ताव सं० १ दिनांक १६५० ९५-११२
 संलग्न सं० ११६२१

Handwritten signature and a diagonal line.

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 14/2006-07

प्रतापसिंह

बनाम

सरकार

धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 चय0 अ0

मौजा आन्वौर

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 चय0 अ0

तहसीलदार, मथुरा को आख्या दिनांक 23. 1. 2007 से विदित है कि मौजा आन्वौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 160 खसरा संख्या 65 रकबा 4. 711 भूराजस्व 85. 65 पैसे/हे० प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि० मोतो कुन्ज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा संग्रामणीय भूमिधर दर्ज बागजात है। मोके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदिकृषि के कार्यों में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि किसी सरकार/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आवादो घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा को उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का विवरण खसरा रकबा भूराजस्व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्वौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि० मोतीकुन्ज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा	160	65	4. 711	85. 65	65	2. 917 हे०	53. 00 पैसे

योग - 11 दिनांक 23. 1. 2007 रकबा 4. 711 85. 65 पैसे/हे० 2. 917 हे० 53. 00 पैसे

उपरोक्त घोषणा को एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

दिनांक: 23. 1. 2007

४ अवनोश कुमार शर्मा
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराने हेतु प्रेषित।

दिनांक: 23. 1. 2007

४ अवनोश कुमार शर्मा
उप जिलाधिकारी, मथुरा



सत्य प्रतिलिपि
अहममद, उप जिलाधिकारी
मथुरा

29/1/07

754
सत्य प्रतिलिपि
29/1/07
29/1/07
29/1/07
29/1/07

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्धौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मधुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाला	खालेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाले के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खालेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संरक्षण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
------	----------------	--------------------------------	-------------	--	--	---	---	---	---------

1 ----- 2 ----- 3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00160	नरथी	बदले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110			
	केशवदेव	मवासी	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
	चन्द्रपाल	मवासी	नि. ग्राम						
	बाबूलाल	केसी	नि. ग्राम						
	मिहीलाल	केसी	नि. ग्राम						
	रतन सिंह	केसी	नि. ग्राम						
	श्रीमती किशन देई विधवा	केसी	नि. ग्राम						
	रमेशचन्द	शिवालाल	नि. ग्राम						
	सूरजभान	शिवालाल	नि. ग्राम						
	अमर सिंह वालिगान	शिवालाल	नि. ग्राम						

1408फ व आदेश श्रीमान नॉ0 तह0 गो0 महो0 के द्वारा
बार स0 18INTG/12.10.2000 के अनुसार खाला स0
160 पर दर्ज खालेदार नरथी पुत्र बदले नि0 ग्राम आन्धौर
का नाम खारिज करके वजारीये पजीकृत वसीयत
विजयपाल पुत्र मवासी नि0 आन्धौर का नाम वतौर
स0 भू0 अकिल हो ह0 ले0 25.10.2000
1408फ व आदेश नॉ0 तह0 गो0 बार स0 19INTG/
20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाला स0 160 गाटा स0
65 रकबा 4.711 त0 85.65 के यथोचित भाग मेसे
0.127 रकबा से विक्रेता खालेदार केशव देव पुत्र मवासी
नि0 आन्धौर का नाम खारिज करके सहखालेदार भेता
चन्द्रपाल पुत्र मवासी नि0 आन्धौर का नाम वतौर स0 भू0
सहखालेदार दर्ज हो ह0 ले0 25.10.2000
1408फ

व आदेश नॉ0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क के क्र0
69 पर मिहीलाल मृतक वताया गया मृतक का नाम खारिज
करके वारिस सतीश चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल
व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम वतौर
वारिस दर्ज हो ह0 ले0 27.11.2000

1413फ- व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन बार
सख्या 376NTG ता0के0 30.9.05 के अनुसार खाला
सख्या 160 के खसरा सख्या 65 रकबा 4.711 भू रा
85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिंह पुत्र कैसी
निवासी ग्राम का नाम खारिज करके भेता प्रताप सिंह
पुत्र मोहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्स्टेन्शन कालौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्चौर

परगना : कोरसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मथुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाता
खतौनी
क्रम संख्या

पिता / पति /
संरक्षक का नाम

निवास स्थान

भौमिक अधिकार
प्रारम्भ होने का
फसली वर्ष

खाने के प्रत्येक
गाटे की खसरा
संख्या

प्रत्येक
गाटे का
क्षेत्रफल
(हे .)

खानेदार
व्यारा देव
मालगुजारी
या लगाना

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका
संरक्षण उनकी संख्या तथा दिनांक
सहित और आज्ञा देने
वाले अधिकारी का पद

दिष्णी

1

2

3

4

5

6

7-12

13

मौजा पिर्जा पुर का नाम वजरिदे बैनामा दर्ज हो ह0 A
ARK30.9.05

1413फ- व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन
बाद संख्या 94NTG ता0फे0 6.1.06 के अनुसार
खाला संख्या 160 के खसरा ख्या 65 रकबा 4.711 है.

भू या 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता सतीशचन्द
व मनीषचन्द पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई
पत्नी श्री मिहीलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज
करके क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी
मोतीकुन्ज एक्स्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम वजरिदे
बैनामा बतौर स0 भू0 दर्ज हो ह0ARK 6.1.06

1413फ- व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा बाद संख्या
77ATM ता0फे0 12.1.06 के अनुसार खाला संख्या
160 के गाटा संख्या 64/4.711 है. भू या 85.65 के
यथोचित भाग से विक्रेता अमर सिंह पुत्र शिवलाल
निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता श्री प्रताप
सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्स्टेन्शन
मौजा विरजापुर का नाम बैनामा दिनांक 7.12.05 के
बतौर अंकित हो ह0RK. 12.1.06

1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा बाद सं.1391
TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाला सं.160 गाटा सं.
65/4.711 के यथोचित भाग से विक्रेता विजयपाल पुत्र
मवासी निवासी ग्राम का नाम वजरिदे बैनामा दिनांक
6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर
सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्स्टेन्शन कालौनी मौजा
बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर
दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06

1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा बाद सं.1392
TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाला सं.160 गाटा सं.

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्धौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मथुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगाना	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संरक्षण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	---	--	--	--	---	---------

1

2

3

4

5

6

7-12

13

65/4.711 भू.सं.85.65 से रकबा 0.855 से विक्रेता
केशवदेव पुत्र मवासी व रमेश पुत्र शिवलाल निवासी
ग्राम के यथोचित भाग से विक्रेतागण का नाम बजरिदे
बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता
प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज
एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का
नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06
1414फ व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद
सं.602NTG ता.फै.21.10.06 के अनुसार खाता सं.160
गाटा सं.65/4.711 भू.सं.60ख के यथोचित भाग से विक्रेता
सुरजभान पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज
कर के क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी
मोती कुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर का नाम बजरिदे
बैनामा सं.भू. अंकित हो। ह.ARK.29..11.06

कुल गाटे : 2 कुल क्षेत्र : 9.5640 173.90

हस्ताक्षर

2